भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3001
उत्तर दिनांक 11/03/2026 को दिया गया

परमाणु क्षेत्र के लिए आयात पर शून्य सीमा शुल्क

3001. श्री नरेश गणपत म्हस्के
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे
श्री श्रीरंग आप्पा चंदू वारणे
श्रीमती भारती पारधी
श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकर

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) केन्द्रीय बजट 2026-27 में घोषित परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के आयात पर शून्य सीमा शुल्क के लाभ और अप्रत्याशित लाभ का ब्यौरा क्या है;

(ख) परियोजना की व्यवहार्यता, लागत में कमी, समय पर क्षमता विस्तार और परमाणु ऊर्जा क्षेत्र के समग्र सुदृढ़ीकरण के संदर्भ में इस कर छूट के माध्यम से क्या उद्देश्य प्राप्त किए जाने हैं;

(ग) रिएक्टरों, टरबाइनों और संबंधित प्रणालियों सहित शून्य-शुल्क व्यवस्था के अंतर्गत शामिल किए गए उपकरणों, घटकों अथवा प्रौद्योगिकियों की कौन-कौन सी श्रेणियां शामिल हैं;

(घ) इस उपाय से आगामी परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के समय पर निष्पादन और घरेलू तथा विदेशी निवेश को आकर्षित करने में किस प्रकार मदद मिलने की संभावना है; और

(ङ) यह प्रोत्साहन स्वच्छ ऊर्जा में परिवर्तन, ऊर्जा सुरक्षा और अल्प कार्बन विकास के दीर्घकालिक राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ किस प्रकार संरेखित होती है और भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधानमंत्री कार्यालय (डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) नाभिकीय विद्युत परियोजनाओं के लिए आवश्यक सामानों के आयात पर शून्य सीमा शुल्क के परिणामस्वरूप परियोजना लागत और उत्पादित बिजली की इकाई लागत में कमी आएगी। इससे परियोजनाएं अधिक व्यवहार्य बनेंगी।

(ख) नाभिकीय विद्युत परियोजनाओं के लिए आवश्यक सामानों के आयात पर सीमा शुल्क छूट से परियोजनाएं आर्थिक रूप से अधिक व्यवहार्य हो जाएंगी और उपभोक्ताओं के लिए प्रशुल्क कम हो जाएगा। यह व्यवस्था शांति अधिनियम, 2025 के अंतर्गत व्यापक निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी प्रोत्साहित करेगी।

(ग) उपकरणों की श्रेणियां जिन्हें शून्य सीमा शुल्क व्यवस्था के तहत शामिल किए जाने की संभावना है, उनमें साधारण जल रिएक्टर परियोजनाओं के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण उपकरण जैसे रिएक्टर दाब पात्र (आरपीवी), भाप जनित्र (एसजी), दाबित्र, टर्बाइन तथा अन्य संबंधित उपकरण शामिल हैं, जिन्हें विदेशी सहयोग से स्थापित किया जा रहा है।

(घ) आयातित घटकों पर सीमा शुल्क छूट से सीमा शुल्क मंजूरी में शामिल समय-सीमा कम हो जाएगी और परियोजनाओं के लिए उपकरणों की तेजी से आपूर्ति होगी।

(ङ) सीमा शुल्क छूट से नाभिकीय ऊर्जा की वृद्धि तेजी से होगी जिससे वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट नाभिकीय विद्युत क्षमता और वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य प्राप्त किए जा सकेंगे।

*****